(191) निग /2831/II/15 (298)

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय वोर्ड ग्वालियर श्रृंखला न्यायालय रीवा (म.प्र.)

Rs. 201/-

280
27.7.15

गुलाबकली पुत्री गोविन्द प्रसाद पाण्डेय निवासी ग्राम– बेल्दह, तह0– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.) ---------- आवेदिका

बनाम

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सीधी, जिला– सीधी (म.प्र.) ---------- अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय सीधी, जिला–सीधी(म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक– 03/ निगरानी / 2013–2014 आदेश दिनांक– 08.06.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

रवि पाण्डेय 27.7.15 के द्वारा ... प्रस्तुत कि... मुहर मार्केट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

आवेदिका की ओर से निम्नांकित निगरानी प्रस्तुत हैः–

1. यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि प्रक्रिया, तथ्यों के सहज न्याय सिद्धान्त की मंशा के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तगी है।

2. यह कि प्रकरण के महत्वपूर्ण तथ्य जो विवादित हैं वह इस प्रकार से हैं कि ग्राम– वेल्दह स्थित पुराना भूमि क्रमांक– 402 रकवा 7.924 है0 एवं 431 रकवा 2.784 है0 किता– 2 योग रकवा 10.708 है0 की आराजी आवेदिका के नितलबे स्वत्व व कब्जे दखल की आराजी थी जो वर्ष 1994–95 के राजस्व अभिलेख में आवेदिका की मां मुस0 श्यामकली बेवा गोविन्द प्रसाद 1/3 व आवेदिका गुलाबकली पुत्री गोविन्द प्रसाद हिस्सा 2/3 दर्ज थी आवेदिका की मां श्यामकली की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण सम्पूर्ण भूमियों की वैध स्वामी आवेदिका है। उपरोक्त दोनों किता भूमियों से नवीन खसरा क्रमांक– 1042, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1377, 1378, 1452, 1490, 1491 किता– 20 योग रकवा 10.28 है0 वर्तमान अधिकार अभिलेख के दौरान निर्मित करते हुये आवेदिका के

गुलाब कली

(191)

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक **R–2831-II / 15** जिला–सीधी

गुलाबकली / म0प्र0 शासन

(1)	(2)	(3)
23.04.19	**आवेदक** की ओर से अधिवक्ता श्री रवि पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 03 / निग0 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 08.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	